>

Title: Need to give compensations to the shopkeepers whose shops got burnt in Kishtwad in Jammu and Kashmir.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे अपने इलाके में, आप जानते हैं और सारा देश इस बात को जानता है कि किश्तवाड़ में क्या हुआ है। उस हादसे से दो-तीन चीजें उभर कर सामने आई। लोगों का जो हाल है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, एक विधवा औरत है और उसका एक बच्चा है। वे दोनों दुकान चलाते हैं, उनकी 80 से 90 लाख तक की दुकान है। मैं कहना चाहता हूं कि 20-30-40-50-80-90 लाख की दुकानें जला कर राख कर दी गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। मेरी रिक्वेस्ट फर्स्ट डे से रही कि मेहरबानी करके इसकी इंक्वायरी सीबीआई से करवाएं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि इस जगह पर यह हादसा 1993 से कंटीन्यू है। 1993 से लेकर 2013 तक लगातार उनको जला कर राख किया जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो स्टेट में टर्मोइल था, 30 वर्ष यह रहा। बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने, सिविलियन, पोलिटिशियन, आर्म्ड फोर्सेस, सब ने अपनी जानें कुर्बान कीं, जिससे बड़ी कम्युनल हारमोनी और शांति बनी थी। सारे लोग आपस में प्रेम से रह रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके पीछे कौन है।...(व्यवधान)

सर, ये मसला बड़ा सीरियस है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : That is why I am giving you time. I can understand your feelings.

चौधरी लाल सिंह : मेरा आपसे कहने का मकसद है, क्योंकि आप बड़े संजीदा हैं, समझते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरी विनती है कि यह जो किश्तवाड़ का मसला है, आइन्दा न हो, ताकि पीछे जो लुकाछिपी चल रही है, वह रूक जाए। मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट बच जाए। मेरी जनाब से विनती है कि इसकी इंक्वायरी और जो लॉसेज हुए हैं, वह ऐक्चुअल लॉस दिए जाएं। दो लाख रुपया, पांच लाख रुपया देने से काम नहीं चलेगा। इसके लोग जिम्मेवार नहीं हैं, जिनकी दुकानें हैं, वे जिम्मेवार नहीं हैं। हां, मेरी सरकार हो या आपकी सरकार हो, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है कि क्यों नहीं उनको बचा सकी और उनके ऐक्चुअल पैसे देने पड़ेंगे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी बात आ गई है।

चौधरी लाल सिंह : सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से मांग करता हूं कि उन्हें ऐक्चुअल पैसे दिए जाएं।

सभापति महोदय : आप जानते हैं कि सी.बी.आई. जांच के लिए आपको राज्य सरकार को चिट्ठी लिखनी होगी और जब राज्य सरकार संस्तुति करेगी तो केन्द्र सरकार उस पर विचार करेगी।